



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 649 राँची, सोमवार,

14 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

आदेश

23 नवम्बर, 2020 ई०।

संख्या: 12/नि०-07-05/2020 का. 5991 -- प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक-23.09.2020 को सम्पन्न केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही के क्रमांक-1 पर की गयी अनुशंसा के आलोक में स्व० दीनानाथ प्रसाद, तदेन अनुसेवक, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पुत्र श्री रवि कुमार (जन्म तिथि-15.01.1992, शैक्षणिक योग्यता-स्नातक), स्थायी पता- ग्राम-हकिकतपुर, वार्ड नं०-13, पो०+थाना-बख्तियारपुर, जिला-पटना, बिहार, (वर्तमान पता- क्वार्टर सं०-99/124, छप्पन सेट, डोरंडा, राँची, झारखण्ड) को झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के अधीन कनीय सचिवालय सहायक (समूह 'ग' /गुप-सी) (वेतनमान पी०बी०-1, 5200-20200, GP-1900/-, पुनरीक्षित वेतनमान Pay Matrix, Level-2, 19900-63200) के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करते हुए जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची में पदस्थापित किया जाता है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रभावी मानी जायेगी :-

(क) झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के कनीय सचिवालय सहायक के लिए अनुमान्य वेतनमान पी०बी०-1, 5200-20200, GP-1900/-, पुनरीक्षित वेतनमान Pay Matrix, Level -2, 19900-63200 एवं अन्य अनुमान्य भत्ते देय होंगे।

(ख) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(ग) श्री रवि कुमार की नियुक्ति उनके योगदान की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। नियुक्ति आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर निश्चित रूप से संबंधित विभाग में योगदान देना होगा अन्यथा निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान नहीं देने पर यह समझा जायेगा कि उन्हें इस पद पर योगदान नहीं देना है तथा ऐसी स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश को रद्द किया जा सकता है।

(घ) योगदान के समय मूल रूप में शैक्षणिक योग्यता, उम्र के सत्यापन हेतु प्रमाण-पत्र एवं असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल रूप में संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही दहेज नहीं लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। प्रशासी विभाग का दायित्व होगा कि श्री रवि कुमार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सभी संबंधित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन करा लेंगे।

(ङ) भविष्य में कोई प्रमाण पत्र/कागजात गलत अथवा असत्य पाये जाने पर श्री रवि कुमार की नियुक्ति स्वतः समाप्त की जा सकती है। फर्जी प्रमाण पत्र की स्थिति में दायित्व पूर्ण रूपेण श्री रवि कुमार का होगा एवं नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

(च) श्री रवि कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा। यदि उनके द्वारा मृत सरकारी सेवक के परिवार के आश्रित सदस्यों के भरण-पोषण में किसी प्रकार की अवहेलना की जाती है तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। उनके द्वारा इस आशय का घोषणा-पत्र दो निष्पक्ष गवाहों के साथ योगदान के समय समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(छ) श्री रवि कुमार की नियुक्ति वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-वि0पे0-5-47/03-518 वि0-5 दिनांक-09.12.2004 के आलोक में अंशदायी पेंशन योजना के अधीन की जाती है।

(ज) श्री रवि कुमार को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सतीश कुमार जायसवाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
